प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

हत्याभियुक्त गिरफ्तार

दिनांकः-22.01.23

पुलिस अधीक्षक श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद में वांछित/वारण्टी की नियमानुसार गिरफ्तारी एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में क्षेत्राधिकारी लहरपुर के निकट पर्यवेक्षण में थाना तालगांव पुलिस टीम के द्वारा मु0अ0सं0 24/23 धारा 366 भादवि से संबंधित अभियुक्त शैलेंद्र पुत्र कुंवर नि0 बालदारी टोला थाना खैराबाद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया है। मु0अ0सं0 24/23 से संबंधित वादी की पुत्री के घर से बिना बताये कही चले जाने व वापस न आने के संबंध में दिनांक 15.01.23 को दी गयी सूचना पर थाना तालगांव पर गुमशुदगी दर्ज की गयी थी। गुमशुदा की तलाश व मोबाइल सीडीआर अवलोकन से अभियुक्त शैलेंद्र उपरोक्त की संलिप्तता पाये जाने पर अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त व वादी की पुत्री के मध्य पूर्व में संबंध होने के कारण वादी की पुत्री दिनांक 11.01.23 को अभियुक्त शैलेंद्र के बुलाने पर मिलने गयी थी जहां वादी की पुत्री द्वारा विवाह की जिद करने पर हुई कहासुनी के दौरान अभियुक्त शैलेंद्र उपरोक्त द्वारा उसकी गला दबाकर हत्या कारित कर दी गयी थी व शव को गन्ने के खेत में छुपा दिया गया था। अभियुक्त उपरोक्त का चालान अंतर्गत धारा 302/201/366 भादवि मा.न्यायालय किया गया है।

अभियुक्त का नाम व पताः- शैलेंद्र पुत्र कुंवर नि0 बालदारी टोला थाना खैराबाद सीतापुर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 24/23 धारा 302/201/366 भादवि थाना तालगांव सीतापुर

पुलिस टीम -1.उ0नि0 मनोज कुमार गुप्ता 2.का0 नरेन्द्र, का0 राघवेन्द्र 3.का0 महेश

Shot on realme C2